



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-396/2022

दिनांक- 30-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली जीयनपुर

दहेज उत्पीडन में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 15/09/2022 को वादी मुकदमा ओमप्रकाश यादव पुत्र अमीरचन्द यादव ग्राम अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपने बेटे के संदीप कुमार यादव के साथ उपस्थित थाना कार्यालय में तहरीर दिया कि मेरी लडकी रेखा यादव उम्र करीब 32 वर्ष को दहेज के लिए प्रताडित करना व हत्या कर दिया गया है उक्त सूचना के आधार पर थानास्थानीय पर अभियुक्त शेषमणि यादव पुत्र रामकेर यादव नि0ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 05 नफर के विरुद्ध मु0अ0सं0 575/22 धारा 498ए/302 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत है जिसकी विवेचना निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा-302 भादवि का विलोप किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा- 306 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 30.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शेषमणि यादव पुत्र रामकेर यादव नि0ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को पकवा इनार तिराहे के पास से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्याया0 किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 575/22 धारा 498ए/ 306 भादवि व 3/4 डी.पी. एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 575/22 धारा 498ए/306 भादवि व 3/4 डी.पी. एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

शेषमणि यादव पुत्र रामकेर यादव नि0ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़।
2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का0 हरिकिशन मौर्य थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. का0 देवेश यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।